



लोक सभा सचिवालय

प्रेस और जन सम्पर्क स्कंध

पन्द्रहवीं लोक सभा का सातवां सत्र - एक सिंहावलोकन

1. सत्र की अवधि (सातवां सत्र)


- आरंभः 21 फरवरी, 2011
- अनिश्चित काल हेतु स्थगनः 25 मार्च, 2011
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसानः 29 मार्च, 2011

2. बैठकों की संख्या (सातवां सत्र)

- 23

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र	बैठकों की संख्या
पहला	7
दूसरा	26
तीसरा	21
चौथा	32
पांचवां	26
छठा	23
सातवां	23

बैठकों की संख्या




पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र

3. कुल बैठक घंटे
(सातवां सत्र)

116 घंटे और 40 मिनट

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र	बैठक घंटे
पहला	28 घंटे 3 मिनट
दूसरा	162 घंटे 11 मिनट
तीसरा	105 घंटे 12 मिनट
चौथा	137 घंटे 51 मिनट
पांचवां	136 घंटे 22 मिनट
छठा	7 घंटे 35 मिनट
सातवां	116 घंटे 40 मिनट



4. व्यवधानों/बाध्यकारी स्थगनों के कारण नष्ट समय
(सातवां सत्र)

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र	व्यवधानों/बाध्यकारी स्थगनों के कारण नष्ट समय
पहला	0
दूसरा	23 घंटे 45 मिनट
तीसरा	31 घंटे 49 मिनट
चौथा	69 घंटे 51 मिनट
पांचवां	45 घंटे
छठा	124 घंटे 40 मिनट
सातवां	25 घंटे 18 मिनट


व्यवधानों/बाध्यकारी स्थगनों के कारण नष्ट समय



5. सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने हेतु सभा की देर तक चलने वाली बैठकें - 26 घंटे 36 मिनट (सातवां सत्र)

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र	सभा की देर तक चलने वाली बैठकें
पहला	4 घंटे 1 मिनट
दूसरा	30 घंटे 52 मिनट
तीसरा	13 घंटे
चौथा	19 घंटे 38 मिनट
पांचवां	31 घंटे 2 मिनट
छठा	0
सातवां	26 घंटे 36 मिनट

सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने हेतु सभा की देर तक चलने वाली बैठक



**6. मत विभाजन आयोजन संख्या
(सातवां सत्र)**

1*


* पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुमति के प्रस्ताव पर 24 मार्च 2011 को सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में: 122; विपक्ष में: 50; भाग नहीं लिया: शून्य

7. विधायी कार्य

(क) सरकारी विधेयक (सातवां सत्र)		
(i)	सत्र के आरंभ में लम्बित	32
(ii)	पुरःस्थापित	11
(iii)	राज्य सभा द्वारा यथापारित सभा पटल पर रखे गए	—
(iv)	राज्य सभा द्वारा संशोधन/सिफारिश के साथ वापस किए गए और सभा पटल पर रखे गए • संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 • उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011	2
(v)	चर्चा हुई	11
(vi)	पारित	10
(vii)	वापस लिए गए	—
(viii)	अस्वीकृत	—
(ix)	आंशिक रूप से चर्चा हुई • वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010	1
(x)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के वापस भेजे गए • संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2011 • विनियोग (रेल) विधेयक, 2011 • विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2011 • विनियोग विधेयक, 2011 • विनियोग संख्यांक 2 विधेयक, 2011 • वित्त विधेयक, 2011	5
(xi)	सत्र की समाप्ति पर लम्बित	35

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र	पुरःस्थापित सरकारी विधेयकों की संख्या	पारित सरकारी विधेयकों की संख्या
पहला	0	0
दूसरा	16	8
तीसरा	21	19
चौथा	27	21
पांचवां	18	20
छठा	10	6
सातवां	11	10

सरकारी विधेयक



सातवें सत्र के दौरान पुरःस्थापित विधेयकों की सूची

क्र.सं.	विधेयक का नाम	पुरःस्थापन की तिथि
1.	वित्त विधेयक, 2011	28 फरवरी 2011
2.	विनियोग (रेल) विधेयक, 2011	7 मार्च 2011
3.	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2011	7 मार्च 2011
4.	विनियोग विधेयक, 2011	11 मार्च 2011
5.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2011	17 मार्च 2011
6.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011	18 मार्च 2011
7.	बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011	22 मार्च 2011
8.	संविधान (एक सौ पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011	22 मार्च 2011
9.	पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011	24 मार्च 2011
10.	आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011	24 मार्च 2011
11.	विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011	25 मार्च 2011

सातवें सत्र के दौरान पारित विधेयकों की सूची

क्र.सं.	विधेयक का नाम	पारित होने की तिथि
1.	बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010	1 मार्च 2011
2.	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2010	1 मार्च 2011
3.	विनियोग (रेल) विधेयक, 2011	7 मार्च 2010
4.	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2011	7 मार्च 2011
5.	विनियोग विधेयक, 2011	11 मार्च 2011
6.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2011	17 मार्च 2011
7.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011	18 मार्च 2011
8.	वित्त विधेयक, 2011	22 मार्च 2011
9.	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011	24 मार्च 2011
10.	सिक्का-निर्माण विधेयक, 2011	25 मार्च 2011

7(ख) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक (सातवां सत्र)

(i)	सत्र के आरम्भ में लंबित	127
(ii)	पुरःस्थापित	43
(iii)	विधेयक, जिन पर चर्चा की गई	3
(iv)	पारित	-
(v)	वापस किए गए	2
(vi)	अस्वीकृत	-
(vii)	विधेयक, जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	1
(viii)	सत्र के अन्त में लंबित	168

**8. नियम 184* के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या
(सातवां सत्र)**

प्राप्त सूचनाएं	1005
स्वीकृत	1
सूचनाएं जिन पर चर्चा की गई	1

[*नियम 184 में विनिर्दिष्ट है कि “संविधान इन नियमों अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।”]

9. नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों की संख्या - 251
(सातवां सत्र)**

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र	उठाए गए मामलों की संख्या
पहला	37
दूसरा	322
तीसरा	185
चौथा	312
पांचवां	276
छठा	259
सातवां	251

[**नियम 377 में विनिर्दिष्ट है कि जो सदस्य सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह उठाए जाने वाले विषय के पाठ की सूचना स्पष्ट तथा सही रूप से लिखित रूप से महासचिव को देगा। सदस्य को ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सहमति दिए जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करे।]


नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों की संख्या



10. 'शून्य काल' के दौरान उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों की संख्या - 366
(सातवां सत्र)

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र	उठाए गए मुद्दों की संख्या
पहला	8
दूसरा	280
तीसरा	224
चौथा	213
पांचवां	314
छठा	23
सातवां	366

'शून्य काल' के दौरान उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों की संख्या



11. नियम 193# के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले)

प्राप्त सूचनाएं	227
स्वीकृत	4
विषय, जिन पर चर्चा की गई	3
<ul style="list-style-type: none"> 18 मार्च, 2011 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया वक्तव्य देश में अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के स्तर को उठाने की आवश्यकता दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण मजदूर वर्ग में व्यापक असंतोष से उत्पन्न होने वाली स्थिति 	
आंशिक रूप से चर्चा की गई	1

[#नियम 193 में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टता तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर महासचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा।]

12. मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य

नियम 197* के अधीन [*नियम में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेगा।]	3
नियम 372** के अधीन [**नियम में विनिर्दिष्ट है कि लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सहमति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जायेगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।]	14
नियम 73क* के अधीन [*संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित लोक सभा की विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा में छह महीनों में एक बार एक वक्तव्य देगा।]	16

13. संकल्प


	संकल्पों का प्रकार	
	सरकारी संकल्प	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प
प्राप्त सूचनाएँ	7	2
गृहीत	7	2
प्रस्तुत	1	1
स्वीकृत	1	—
अस्वीकृत	—	—
आंशिक रूप से चर्चा की गई	—	1

14. स्थगन प्रस्ताव

प्राप्त सूचनाएँ	50
सभा के समक्ष प्रस्तुत	—
गृहीत	—

15. गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या (सातवां सत्र)

(i)	तारांकित	300
(ii)	अतारांकित	3450
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न	शून्य
(iv)	आधे घंटे की चर्चा	2



अतारांकित प्रश्न गृहीत/लिखित उत्तर सभा के पटल पर रखे गए



पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र	गृहीत तारांकित प्रश्न	तारांकित प्रश्न (संबंधित मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर दिया गया)	अतारांकित प्रश्न गृहीत/लिखित उत्तर सभा के पटल पर रखे गए
पहला	0	0	0
दूसरा	500	87	4894
तीसरा	440	87	4848
चौथा	620	76	7029
पांचवां	460	46	5283
छठा	480	5	5520
सातवां	300	47	3450

16. याचिकाएं

प्रस्तुत याचिकाओं की संख्या	1 (3 मार्च 2011)
-----------------------------	------------------

श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य ने विक्रय संवर्धन (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1953 के कुछ उपबंधों के उल्लंघन के कारण विक्रय संवर्धन कर्मचारियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के बारे में फेडरेशन आफ मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रिजेन्टेटिव एसोसिएशन आफ इंडिया के महासचिव, श्री डी.पी. दूबे द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की।

17. विशेषाधिकार प्रस्ताव

प्राप्त सूचनाएं	25
सभा के समक्ष प्रस्तुत	5
लोक सभा अध्यक्ष द्वारा सहमति न दिया जाना	-
लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी	4

18. संसदीय समितियां

सातवें सत्र के दौरान गठित संसदीय समितियों की संख्या	1
दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति	
सभापति : श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य	
सदस्यों की संख्या : लोक सभा से 20 और राज्य सभा से 10	

19. संसदीय समितियों के लोक सभा में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या

क्र.सं.	समिति का नाम	मूल प्रतिवेदन	की गई कार्यवाही प्रतिवेदन
(i)	प्राक्कलन समिति	-	-
(ii)	लोक लेखा समिति	5	6
(iii)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	-	-
(iv)	कार्य मंत्रणा समिति	4	-
(v)	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	-	-
(vi)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	1	-
(vii)	याचिका समिति	-	-
(viii)	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	4	-
(ix)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	3	-
(x)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	-	1
(xi)	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	-	-
(xii)	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	-	2
(xiii)	नियम समिति	-	-
(xiv)	रेल अधिसमय समिति	-	-
(xv)	विशेषाधिकार समिति	1	-
(xvi)	आचार समिति	1	-
(xvii)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीलेड)	-	-
(xviii)	महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	-	1

20. लोक सभा में प्रस्तुत विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों की संख्या

क्र.सं.	समिति का नाम	मूल प्रतिवेदन	की गई कार्यवाही प्रतिवेदन
(i)	कृषि संबंधी समिति	-	8
(ii)	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	-	2
(iii)	रक्षा संबंधी समिति	-	2
(iv)	ऊर्जा संबंधी समिति	3	-
(v)	विदेशी मामलों संबंधी समिति	-	2
(vi)	वित्त संबंधी समिति	2	-
(vii)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	-	1
(viii)	श्रम संबंधी समिति	2	1
(ix)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	-	1
(x)	रेल संबंधी समिति	-	-
(xi)	शहरी विकास संबंधी समिति	-	-
(xii)	जल संसाधन संबंधी समिति	-	1
(xiii)	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	-	-
(xiv)	ग्रामीण विकास संबंधी समिति	-	4
(xv)	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	2	-
(xvi)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	-	3


21. राज्य सभा में प्रस्तुत विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों की संख्या

	समिति	मूल प्रतिवेदन	की गई कार्यवाही प्रतिवेदन
(i)	वाणिज्य संबंधी समिति	1	2
(ii)	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	3	4
(iii)	गृह कार्य संबंधी समिति	1	-

(iv)	उद्योग संबंधी समिति	2	3
(v)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	-	-
(vi)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	1	5
(vii)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	1	5
(viii)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	1	-

पंद्रहवीं लोक सभा के सत्र	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा राज्य सभा में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की कुल संख्या
पहला	0	4	4
दूसरा	0	3	3
तीसरा	55	12	67
चौथा	71	37	108
पांचवां	45	10	55
छठा	22	15	37
सातवां	34	29	63

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन



22. संसदीय मंच प्रकोष्ठ

बैठकों की संख्या	5
क्र. सं.	संसदीय मंच
1.	जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच
2.	संसदीय युवा मंच
3.	भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच
4.	जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच
5.	संसदीय बाल मंच

आयोजित बैठकों की संख्या


एक [3 मार्च, 2011 को: डॉ. किरीट एस. पारिख, समग्र विकास हेतु न्यून कार्बन कार्यनीति संबंधी विशेषज्ञ दल के अध्यक्ष और पूर्व सदस्य (जल संसाधन), योजना आयोग द्वारा 'समेकित जल प्रबंधन: नीति और कार्यवाही' विषय पर प्रस्तुति दी गई]
एक [9 मार्च, 2011 को: श्री गोपाल कृष्ण, सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 'राष्ट्रीय खेल नीति' विषय पर प्रस्तुति दी गई]
एक [10 मार्च, 2011 को: प्रो. जे. श्रीनिवासन, अध्यक्ष, दिवेचा, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु और डॉ. एस. नरेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा 'जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव' विषय पर प्रस्तुति दी गई]
एक [14 मार्च, 2011 को: डॉ. एल.एस. चौहान, निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा 'जनस्वास्थ्य के मुद्दे' विषय पर प्रस्तुति दी गई]
एक [15 मार्च, 2011 को: सुश्री रजिया इस्माइल, 'इंडिया एलायंस फॉर चाइल्ड राइट्स' द्वारा 'बाल अधिकार' विषय पर प्रस्तुति दी गई]

23. लोक सभा की दर्शक दीर्घा में आए दर्शक (सातवां सत्र)

दर्शकों को जारी किए गए पास की संख्या	15,628
एक दिन में जारी किए गए दर्शक पास की अधिकतम संख्या और उन्हें जारी करने की तिथि	1006 (16 मार्च 2011)

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र	सत्र के दौरान जारी दर्शक पास की संख्या	एक दिन में जारी पास की अधिकतम संख्या
पहला	4,911	1,270
दूसरा	13,589	833
तीसरा	14,168	1,021
चौथा	24,752	1,228
पांचवां	16,230	1,036
छठा	6,775	731
सातवां	15,628	1,006

दर्शकों की संख्या



24. विदेशी संसदीय शिष्टमंडल का दौरा

कोरिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के स्पीकर, महामहिम श्री पार्क ही-ताइ के नेतृत्व में एक 16 सदस्यीय कोरियाई संसदीय शिष्टमंडल 22 मार्च से 26 मार्च, 2011 तक भारत की सद्भावना यात्रा पर आया था।

25. संसदीय संग्रहालय आने वाले दर्शक (सातवां सत्र) - 3203

26. संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो

- संसद सदस्यों/विधायकों के लिए कार्यक्रम:
 - ★ गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के संसद सदस्यों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाएं।
- संसद सदस्यों के लिए व्याख्यानमाला:
 - ★ श्री सैम पित्रोदा, प्रधानमंत्री के सलाहकार द्वारा 23 मार्च, 2011 को “जन सूचना अवसरंचना और नवोन्मेषणों के माध्यम से भारत का सशक्तीकरण” विषय पर व्याख्यान।
- संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों में परिवोधन पाठ्यक्रम:
 - ★ भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षु तथा भारतीय सांख्यकीय सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी:
 - 21 फरवरी से 25 फरवरी, 2011।
 - ★ भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी: 1 मार्च से 4 मार्च, 2011।
 - ★ भारतीय रेल सुरक्षा बल के परिवीक्षाधीन अधिकारी: 21 मार्च से 23 मार्च, 2011।
- विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों/संसदीय अधिकारियों; कालेज/स्कूली छात्रों; सरकारी अधिकारियों; अन्य अधिकारियों द्वारा अध्ययन दौरे:
 - ★ 28 अध्ययन दौरे आयोजित किए गए, जिनमें 1049 लोगों ने भाग लिया।